न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः– 90/2018 (जी सी एम एस नम्बर 2018/00153)

उनवान प्रकरण :–

1–सबनम पुत्री अब्दुल वहीद		
2–अनबरी	पुत्र/पुत्री	समस्त जातिगण मुसलमान
3–इरशाद		
4–रेशम	अब्दुल करीम	
5–शादमा		निवासीगण मौहल्ला संतराश बाडी
6–शम्मो		
7–फईमा		
8–अब्दुल हनीफ पुत्र हैदर बक्स		तहसील बाडी जिला धौलपुर
9–रजिया		
10–सुल्ताना		
11–फरजाना	अब्दुल सलीम	
12–हीना		
13–अमजद		

.....प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर
2–जुगनू पुत्र अब्दुल अजीज
3–अख्तरी वेवा अब्दुल अजीज
4–अल्ताफ पुत्र अब्दुल हमीद
5–साबिया पुत्री अब्दुल हमीद
6–फिजा पुत्री अब्दुल हमीद नाबालिग सरपरस्ती मॉ
7–अख्तरी वेवा अब्दुल हमीद
समस्त जातिगण मुसलमान निवासीगण मौहल्ला संतराश बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर ..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स निर्णय व डिक्री न्याया0ए.डी.एम. धौलपुर तारीखी 18.10.1972 उनवानी अब्दुल अजीज बनाम अब्दुल वहीद मु0न0 28/72 अन्तर्गत धारा 232 आर.टी.एक्ट

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषकगण :–

प्रार्थी की ओर से – श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट
अप्रार्थी सं01 ओर से – श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 27.07.2021

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैफरेन्स धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 2886 रकवा 01 विस्वा, 2887 रकवा 01 बीधा 01 विस्वा बांके कस्वा बाडी तहसील बाडी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1लगा08 की पूर्वज सईदन पत्नी महबूब बक्स के स्वामित्व व आधिपत्य में रही। अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष अब्दुल अजीज द्वारा एक राजस्व वाद वास्ते इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्रांज व अन्य उनवानी अब्दुल अजीज बनाम अब्दुल वहीद प्रकरण संख्या 28/72 न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश धौलपुर के समझ प्रस्तुत किया। उक्त वाद में वादी द्वारा विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2886 रकवा 01 वीधा तथा खसरा नम्बर 2887 रकवा 01 वीधा 01 विस्वा के बावत दावा प्रस्तुत किया। जबकि खसरा नम्बर 2886 का रकवा कभी भी 01 वीधा नहीं रहा और ना ही वर्तमान में है। वादी द्वारा विचारण न्यायालय में अपने आपको मुताविक इकरारनामा अपने आपको विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में हो रहे पूर्ववर्ती इन्द्राजातों को कलमजद कर अपने नाम दाखिल खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दावा वादी दिनांक 18.10.1972 को अंतिम रूप से डिक्री फरमाते हुए दावे में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 2886 रकवा 01 वीधा व खसरा नम्बर 2887 रकवा 01 वीधा 01 विस्वा को वादी की खातेदारी में किये जाने तथा कागजात पटवार में दुरूस्ती कर वादी का नाम दर्ज किये जाने बावत डिक्री पारित की। इकरारनामा के आधार पर अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार हांसिल नहीं है बल्कि इकरारनामा के आधार पर केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही वादी को अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। बावजूद इसके विचारण न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कानून के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत जाकर अवैध डिक्री पारित की है जो अपने आप में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल खारिजी के है। इकरारनामा के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसे शून्य निर्णय व डिक्री को जरिये रैफरेंस निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र रैफरेंस स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री 18.10.1972 निरस्त फरमाई जावे।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति निर्णय व डिक्री तारीखी 18.10.1972 उनवानी अब्दुल अजीज बनाम अब्दुल बहीद न्याया0 अतिरिक्त जिलाधीश धौलपुर, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 46 सम्बत 2029 से 2032 कस्वा बाडी, प्रार्थना पत्र बावत असल दस्तावेज की अनुमति बावत। पेश की है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगण संख्या–2 लगा0 7 बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व दिनांक 08.01.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–1 तहसीलदार बाडी को प्रा0पत्र की प्रति भेजकर उनकी टिप्पणी ली गई। तहसीलदार बाडी ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया कि मुताविक जमाबन्दी कस्बा बाडी नम्बर–3 संवत 2070 से 2073 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2886 रकवा 0–01(एक विस्वा) किस्म गै.मु.कुआ, 2887 रकवा एक वीधा एक विस्वा किस्म वारारी दोयम किता–2 रकवा 01 वीधा 02 विस्वा अब्दुल हमीद,जुगनू पि. अब्दुल अजीज खॉ व अखतरी वेवा अब्दुल अजीज कौम मुसलमान सा.देह हि. बरा. खातेदार दर्ज रिकार्ड मूल खाते पर था। नामान्तकरण संख्या 5235 दिनांक 29.5.2018 जरिये माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 10.8.2018 में न्यायालय द्वारा अपील खारिज किये जाने पर उक्त खसरा नम्बरान पर सहखातेदार अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल अजीज खां हि. 1/3 के स्थान पर जरिये विरासत अख्तरी पत्नी अब्दुल हमीद व अल्ताफ पुत्र सावियां, फिजा पुत्रीयान अब्दुल हमीद हि.वरा. 1/3 कौम मुसलमान सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ। उक्त प्रकरण में वादी द्वारा कस्बा बाडी से सम्बधित आराजी खसरा नम्बरानों के बारे में बताया है कि खसरा नम्बर 2886 का रकवा कभी भी एक बीधा नहीं रहा और ना ही वर्तमान में है। उपरोक्त वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड के मुताविक सही है।

वहस अंतिम विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं राजकीय अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि अब्दुल अजीज पुत्र हैदरवक्स ने अति0जिलाधीश धौलपुर के न्यायालय में अब्दुल बहीद वगैरा के विरूद्व इस आशय का दावा पेश किया था कि विवादित आराजीयात मु0 सईदन वेवा महबूब बक्स के नाम दर्ज है। सईदन फरीकैन के पिता हैदरवक्स की हकीकी भाई की वेवा थी जो लाऔलाद फोत हो चुकी है। हैदरवक्स ही उसके तन्हा बतौर मालिक काबिज रहे। हैदर वक्स ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी जायदाद हम फरीकैन के विभाजित करके बाहमी मुन्तकिल कर दी थी जिसके अनुसार उक्त आराजी का वादी मालिक बना दिया था जिसका इकरारनामा दिनांक 3.9.69 को तहरीर हुआ। अधीनस्थ न्यायालय

ने इकरारनामा के आधार पर निर्णय पारित किया है जबकि इकरारनामा के आधार पर स्वत्व धोषणा का अनुतोष दीवानी न्यायालय ही प्रदान कर सकता है। अपीलान्ट ने उक्त निर्णय व डिक्री की अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में पेश की। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 14.3.2014 को किया जाकर प्रार्थीगण की अपील म्याद बाहर होने के कारण खारिज की गई। प्रार्थीगण ने न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जिसका निर्णय दिनांक 10.8.2018 को करते हुये प्रार्थीगण की अपील खारिज की गई तथा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर का निर्णय दिनांक 18.10.1972 यथावत रखा गया। इस प्रकार उक्त न्यायालयों द्वारा मात्र लिमिटेशन के आधार पर अपील खारिज की है अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री पर गौर ही नहीं किया गया। अतः प्रार्थना पत्र रैफरेन्स स्वीकार फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक ने अपनी वहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिलाधीश धौलपर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.1972 की अपील प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में की गई जहॉ से प्रार्थीगण की अपील खारिज हो चुकी है तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से भी प्रार्थीगण की अपील खारिज हो चुकी है। इस प्रकार उक्त दोनो न्यायालय से प्रार्थीगण की अपील खारिज हो चुकी है तो फिर प्रार्थीगण उक्त रैफरेन्स प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण के अभिभाषक का मुख्य रूप से यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दावा वादी दिनांक 18.10.1972 को अंतिम रूप से डिक्री फरमाते हुए दावे में वर्णित आराजीयात को वादी की खातेदारी में किये जाने तथा कागजात पटवार में दुरूस्ती कर वादी का नाम दर्ज किये जाने बावत डिक्री पारित की। इकरारनामा के आधार पर अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार हांसिल नहीं है बल्कि इकरारनामा के आधार पर केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही वादी को अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। बावजूद इसके विचारण न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कानून के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत जाकर अवैध डिक्री पारित की है जो अपने आप में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल खारिजी के है। इकरारनामा के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसे शून्य निर्णय व डिक्री को जरिये रैफरेंस निरस्त किया जा

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

सकता है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.1972 की अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में पेश की। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 14.3.2014 को किया जाकर प्रार्थीगण की अपील खारिज की गई। प्रार्थीगण ने न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जिसका निर्णय दिनांक 10.8.2018 को करते हुये प्रार्थीगण की अपील खारिज की गई तथा न्यायालय अति0 जिलाधीश धौलपुर का निर्णय दिनांक 18.10.1972 यथावत रखा गया है, इन तथ्यों को छिपाते हुये प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र रैफरेंस पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा खारिज की जा चुकी है। जब उक्त दोनो न्यायालयों से प्रार्थीगण की अपील खारिज हो चुकी है तो फिर प्रार्थीगण उक्त रैफरेन्स प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/7

(आर.के. जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर